न्यायालय सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर।

उपस्थित: सुधीर कुमार–V एच0जे0एस0

(J.O. Code- UP 6546)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1215 सन 2026

(CNR No. UPFT-010031532026)

सुचित्रा देवी पत्नी अरविन्द यादव निवासिनी ग्राम मोहम्मदपुर थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर।

..... आवेदिका/अभियुक्ता

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

..... अभियोजक

अपराध संख्या: 168 सन 2026

धारा: 109, 221, 223, 226 व 3(5) भारतीय न्याय संहिता

थाना: गाजीपुर, जनपद फतेहपुर।

14.07.2026 :

आवेदिका/अभियुक्ता सुचित्रा देवी की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या 168 सन 2026 अन्तर्गत धारा 109, 221, 223, 226 व 3(5) भारतीय न्याय संहिता थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से जीतू सिंह द्वारा इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय में अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में न तो दिया गया, न विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

अभियोजन कथानक के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा/उपनिरीक्षक हेमन्त ने दिनांक 30.06.2026 को सम्बन्धित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी कि प्रकरण ग्राम मोहम्मदपुर के गाटा संख्या 125 से सम्बन्धित है जो कि राजस्व अभिलेखों में इरसाद आलम आदि के नाम संक्रमणीय भूमिधरी दर्ज है। उक्त भूमि पर पूर्व में सम्पूर्ण समाधान दिवस के आदेशानुसार राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अवैध अतिक्रमण (गोमटी व छप्पर) हटाने की आंशिक कार्यवाही की गयी थी। दिनांक 29.06.2026 को जब पूर्व आदेशों के अनुपालन एवं जांच हेतु राजस्व टीम के सदस्य क्षेत्रीय लेखपाल देवेश ओझा,

अखिलेन्द्र व रजत तिवारी एवं वह/उपनिरीक्षक, वरिष्ठ उपनिरीक्षक हरिनाथ सिंह मय हमराह पुलिस बल के मौके पर पहुंचे तो वहां पहले से मौजूद विपक्षीगण सुचित्रा, रामदुलारी, धर्मेन्द्र यादव ने एक राय होकर राजस्व व पुलिस टीम के द्वारा किये जा रहे अतिक्रमण हटाने के कार्य को जबरन रोक दिया। विधिक कार्यवाही से रोकने के उद्देश्य से विपक्षी सुचित्रा ने अत्यन्त आक्रामक रूख अपनाते हुए अपनी सास रामदुलारी के ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया और इसके तत्काल बाद सुचित्रा व उसके सहयोगियों द्वारा मौके पर उपस्थित राजस्व टीम एवं पुलिस बल को सीधे शब्दों में धमकी दी गयी कि यदि राजस्व टीम ने यहां कोई भी कार्यवाही की या गोमटी हटाने का प्रयास किया तो वह अपनी सास को तुरन्त आग लगाकर जिन्दा जला देगी। विपक्षीगण के इस अत्यन्त दुस्साहसिक, हिंसक एवं आपराधिक कृत्य के कारण मौके पर गम्भीर कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गयी जिससे राजस्व टीम व पुलिस बल को अपने शासकीय दायित्व का निर्वहन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा और विपक्षीगण का कृत्य लोक सेवकों को भयभीत कर उनके विधिक कार्यों को रोकने एवं एक बड़ी व जानलेवा घटना को अंजाम देने के प्रयास की श्रेणी में आता है।

जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) व पीडित के विद्वान निजी अधिवक्ता की बहस सुना तथा केस डायरी आदि अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क रखा गया कि आवेदिका निर्दोष है, उसे इस मामले में साजिशन व रंजिशन झूंठा फंसाया गया है। प्राथमिकी विधिक सलाह मशविरा के उपरान्त अत्यधिक विलम्ब से दर्ज करायी गयी है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आवेदिका का कथित घटना से कोई सम्बन्ध नहीं है। आवेदिका की सास एवं इरशाद आलम से जमीनी विवाद को लेकर दीवानी न्यायालय में मुकदमा चल रहा है और इरशाद ने जबरन विवादित भूमि में कब्जा करने के लिए दिनांक 29.06.2026 को पुलिस व राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचकर सास रामदुलारी की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करने लगी जिससे क्षुब्ध होकर रामदुलारी ने स्वयं विरोध किया जिस पर इरशाद आदि ने रामदुलारी को जलाकर मार डालने का प्रयास किया। पुलिस ने इरशाद आलम व राजस्व अधिकारियों के प्रयास से उल्टा आवेदिका व उसकी सास एवं अन्य के विरूद्ध झूंठी प्राथमिकी दर्ज करवाकर आवेदिका को जेल भेजने का प्रयास करने लगे। प्राथमिकी में उल्लिखित धारायें सात वर्ष से कम सजा से दण्डनीय होने के कारण धारा 109 भारतीय न्याय संहिता दौरान विवेचना अनुचित तरीके से बढ़ाकर आवेदिका को घर से लाकर रात भर थाने में रखकर अवैध अभिरक्षा में प्रताडित किया एवं दूसरे दिन जेल भेज दिया आवेदिका के

विरूद्ध धारा 109 भारतीय न्याय संहिता का अपराध कारित करना नहीं पाया जाता। आवेदिका सम्मानित परिवार की सदस्य है और एक छोटे अबोध बच्चे की मॉ है। आवेदिका का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और आवेदक दिनांक 04.07.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। आवेदिका/अभियुक्ता जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने जमानत का घोर विरोध करते हुए यह तर्क रखा है कि आवेदिका/अभियुक्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ राजस्व टीम व पुलिस बल द्वारा किये गये जा रही शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गयी एवं आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा अपनी सास के ऊपर पेट्रोल डाल कर आग लगाने की धमकी दी गयी। पुलिस द्वारा दौरान विवेचना बोतल बरामद की गयी है तथा विवेचक द्वारा आवेदिका/अभियुक्ता के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलित की गयी है। आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। आवेदिका/अभियुक्ता जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

आवेदिका/अभियुक्ता पर आरोप है कि उसने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर पुलिस व राजस्व टीम के सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न किया एवं अपनी सास के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने की धमकी दिया। प्राथमिकी के अनुसार आवेदिका/अभियुक्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभिकथित घटना दिनांक 29.06.2026 की बतायी गयी है किन्तु इसमें कथित घटना का कोई समय उल्लिखित नहीं किया गया है और इसकी प्राथमिकी दिनांक 30.06.2026 को 01:58 बजे अंकित करायी गयी है। अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार आवेदिका/अभियुक्ता सहित सह अभियुक्तगण ने पुलिस व राजस्व टीम द्वारा अतिक्रमण हटाने के कार्य को जबरन रोका गया तथा आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा अपनी सास/सह अभियुक्ता रामदुलारी पर पेट्रोल छिड़का गया एवं अवैध कब्जा/गोमटी हटाने पर आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा रामदुलारी को आग लगाने की धमकी दी गयी। प्राथमिकी के अनुसार आवेदिका/अभियुक्ता सहित रामदुलारी को भी प्रकरण में अभियुक्त नामजद किया गया है। अभिकथित घटना में किसी को कोई चोट आने का उल्लेख नहीं है। अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार अभिकथित घटना की प्राथमिकी धारा 221, 223, 226 व 3(5) भारतीय न्याय संहिता में पंजीकृत हुई एवं दौरान विवेचना धारा धारा 109 भारतीय न्याय संहिता की अभिवृद्धि की गयी है। अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार विवेचक द्वारा आवेदिका/अभियुक्ता की निशानदेही पर अभिकथित घटना में प्रयुक्त बोतल बरामद किया जाना बताया गया है। आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान

अधिवक्ता का कथन है कि प्राथमिकी विलम्ब से दर्ज होने के बाद दिनांक 01.07.2026 को घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया किन्तु कथित घटना में प्रयुक्त बोतल बरामद की नहीं की गयी और तीन दिन बाद दिनांक 04.07.2026 को घटनास्थल/गोमटी के पास से कथित बोतल बरामद किया जाना संदेहास्पद है। उनकी ओर से यह भी कथित किया गया प्रश्नगत भूमि जिस पर कब्जा हटाना अभियोजन द्वारा बताया जा रहा है, उसके सम्बन्ध में सह अभियुक्त रामकुमारी व कथित पीडित इरशाद के मध्य सिविल न्यायालय में सिविल वाद विचाराधीन है। आवेदिका/अभियुक्ता एक महिला है और उसके साथ एक अबोध बच्चा होना बताया गया है। अभियोजन द्वारा आवेदिका/अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास होना नहीं बताया गया है। आवेदिका/अभियुक्ता दिनांक 04.07.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है।

मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, केस की गम्भीरता, अपराध कारित करने में आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता/भूमिका, दण्ड की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त विवेचन की पृष्ठभूमि में, मामले के गुण–दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत उक्त जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त व युक्तियुक्त आधार मौजूद है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिका/अभियुक्ता सुचित्रा देवी की ओर से प्रस्तुत उक्त जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदिका/अभियुक्ता को उसके द्वारा मु0 1,00,000/– (एक लाख) रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इसी धनराशि की दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर, निष्पादित करने पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये–

1. आवेदक/अभियुक्त अन्तर्गत धारा 480 उपधारा 3 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उल्लिखित बन्धपत्र की शर्तो का कठोर पालन करेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त विवेचना व विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा तथा आरोपपत्र प्रस्तुत होने की स्थिति में विरचित किये जाने, धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का बयान अंकित किये जाने इत्यादि की तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होगा और स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा।
3. आवेदक/अभियुक्त साक्ष्य से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त किसी भी अभियोजन साक्ष्य को दबाव में लेने या प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा।

5. आवेदक/अभियुक्त इस मामले के तथ्य से सम्बन्धित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न डरायेगा, न धमकायेगा और न ही प्रभावित करेगा।

6. आवेदक/अभियुक्त इस आशय का बन्धपत्र दाखिल करेगा कि वह विचारण/साक्ष्य के दौरान जब भी कोई साक्षी न्यायालय में उपस्थित होगा और धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान के समय स्थगन नहीं लेगा। इस शर्त की अवहेलना होने पर सम्बन्धित न्यायालय को यह अधिकार होगा कि सम्बन्धित न्यायालय अभियुक्त के द्वारा जमानत की स्वतंत्रता के दुरूपयोग के कारण उसके विरूद्ध विधिसम्मत आदेश पारित करे।

दिनांक: 14.07.2026

(**सुधीर कुमार– V**)
सत्र न्यायाधीश,
फतेहपुर।

SUDHIR KUMAR
Digitally signed by SUDHIR KUMAR
Date: 2026.07.14 15:16:44 +05'30'